शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शी.मु.प.प./परीक्षा/2011/32 भोपाल,दिनांक 17/3/11

:: आदेश ::

शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद द्वारा माह जनवरी 2011 में आयोजित परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली की पारदर्शिता के उद्देश्य से कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की एवं अन्य किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका का अवलोकन/छायाप्रति चाहॅता है तो उसे इस कार्य हेतु निम्नानुसार शुल्क देना होगा :-

1. उत्तरपुस्तिका का अवलोकन – पॉच रूपये प्रति उत्तर पुस्तिका
2. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति – दस रूपये प्रति उत्तर पुस्तिका।

उक्त राशि संचालनालय के कैश काउन्टर में नगद जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी एवं उत्तर पुस्तिका का अवलोकन/छायाप्रति प्राप्त करने हेतु परिषद कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ मूल रसीद जमा की जाना होगी। उत्तर पुस्तिका अवलोकन/छायाप्रति परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 90 दिवस तक की अवधि तक मान्य होगी इसके पश्चात आवेदन करने पर उत्तरपुस्तिका अवलोकन करने एवं उसकी छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

17/3

(सभाजीत यादव)
अध्यक्ष
शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद
एवं
सचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृ.क्रं./शी.मु.प.प./परीक्षा/2011/33 भोपाल,दिनांक 17/3/11

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक मान्. मंत्री जी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग ,म.प्र शासन,भोपाल
2. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय,भोपाल
3. स्टाफ आफीसर, आयुक्त लोक शिक्षण,म.प्र.
4. सचालक जन सम्पर्क संचालनालय की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश आपके प्रमुख समाचार पत्रो मे प्रकाशित करने का कष्ट करे।
5. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,म.प्र.
7. समस्त संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण,संभागीय कार्यालयीन,म.प्र.
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी ,म.प्र.
9. समस्त प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष,उमावि म.प्र.
10. समस्त पंजीकृत टायपिंग इन्स्टीट्यूट,म.प्र.

17/3

अध्यक्ष
शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद
एवं
संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश